ANSHULI ARYA, I.A.S.
Managing Director

Scan

BIADA
BIHAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY

BIHAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY

1st floor, Udyog Bhawan, East Gandhi Maidan, Patna-800 004
Ph. : 0612-2675998, 2675991, Fax : +91-612-2675889
E-mail : biada@rediffmail.com, Website : www.biadabihar.in

15/7/2015

Ref. :.................. Date :......................

सेवा में,

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

विषयः- संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, पटना द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः- सामान्य प्रशासन विभाग, पटना का पत्रांक 002 दिनांक 19.05.15

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक 002 दिनांक 19.05.15 द्वारा संविदा पर नियोजित कर्मियों के नियमितिकरण हेतु सभी विभागों से वांछित सूचना की मांग की गई है(छायाप्रति संलग्न)। तदनुसार बियाडा में संविदा पर कार्यरत कर्मियों से संबंधित वांछित सूचना इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सूचना को सामान्य प्रशासन विभाग, पटना द्वारा गठित संविदा पर नियोजित कर्मियों के नियमितिकरण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति को अनुशंसा के साथ अग्रसारित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः- यथोक्त।

510-445
14/7/15

विश्वासभाजन

ह0/-
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक 3400/202/स्था0/बियाडा/08 दिनांक 13/07/2015

प्रतिलिपि :- श्री अशोक कुमार चौधरी(भा0प्र0से0), अध्यक्ष, संविदा पर नियोजित कर्मियों के नियमितिकरण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना/ सरकार के उप सचिव, उद्योग विभाग को उनके पत्रांक 2575 दिनांक 29.06.15 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक।

पत्र संख्या : उ0 स्त0 स0/सा0प्र0–01/2015–सा0प्र0– 002/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव–सह–
सदस्य सचिव,उच्चस्तरीय समिति ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव

पटना–15, दिनांक : 19 मई, 2015

विषय :– **समिति के समक्ष संविदा पर नियोजित कर्मियों से संबंधित मामले उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–6862 दिनांक 12.05.2015 के द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण के लिए श्री अशोक कुमार चौधरी, भा0प्र0से0 (72), सेवानिवृत्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है ।

समिति के अध्यक्ष द्वारा संविदा पर नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण पर विचारण हेतु आपके विभाग में संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में निम्नलिखित सूचना की मांग की गयी है–

1. प्रत्येक पद जिसपर नियोजन किया गया है, का पदनाम ।
2. पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत् कर्मियों की संख्या ।
3. किस योजना/परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह योजना केंद्रीय या राज्य की योजना थी ?
4. नियोजन का पद किस श्रेणी का है (समूह 'ग' या 'घ') ।
5. क्या यह पद स्वीकृत था ? अगर हाँ तो, स्वीकृत्यादेश/पद सृजन आदेश ।
6. क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरुद्ध हुआ था अथवा नहीं ?
7. नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस इत्यादि की छायाप्रति (प्रत्येक पद के लिए जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय) ।
8. नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया ।
9. पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता ।
10. क्या नियोजित कर्मी वांछित पदीय अहर्ता रखते थे अथवा नहीं ।
11. नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं ।
12. नियोजन हेतु 'नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी' ।

13. उपर्युक्त 'नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी' को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदत्त थी अथवा नहीं ।
14. नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक पद पर प्रत्येक बार की नियोजन प्रक्रिया के लिए) ।
15. प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि ।
16. प्रत्येक सेवावधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक ।
17. प्रत्येक सेवावधि विस्तार आदेश का नमूना ।
18. प्रत्येक पदवार मानदेय/पारिश्रमिक/वेतन/Consolidated Pay इत्यादि की भुगतेय राशि ।
19. जिस शीर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी ।
20. जिस नियमावली/संकल्प/परिपत्र के अंतर्गत इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया हुई है, उनकी छायाप्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ) ।

चूंकि इस महत्वपूर्ण विषय पर विचारण हेतु समिति के लिए मात्र तीन माह की अल्पावधि निर्धारित है, अतः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव–सह–
सदस्य सचिव, उच्चस्तरीय समिति

ज्ञापांक : उ0स्त0स0/सा0प्र0–01/2015–सा0प्र0– 002 /पटना, दिनांक : 19.05.2015

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव–सह–
सदस्य सचिव, उच्चस्तरीय समिति

ज्ञापांक : उ0स्त0स0/सा0प्र0–01/2015–सा0प्र0– 002 /पटना, दिनांक : 19.05.2015

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । साथ ही, आपको निदेश दिया जाता है कि जिला स्तर पर संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में उपर्युक्त वांछित सूचना संबंधित विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

सरकार के प्रधान सचिव–सह– 19.5.15
सदस्य सचिव, उच्चस्तरीय समिति

संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण के लिए मानक

चेकलिस्ट

1. **विभाग का नामः–** बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (उद्योग विभाग, बिहार सरकार का उपक्रम)

2. **नियोजित पद का नामः–** कार्यकारी निदेशक, विकास पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, विधि पदाधिकारी, आई.टी. पदाधिकारी, सहायक विकास पदाधिकारी, सहायक अभियंता (असैनिक एवं विद्युत), कनीय अभियंता (असैनिक एवं विद्युत), कार्यपालक, अमीन।

क्रम	वांछित सूचना	संबंधित कागजात की विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रत्येक पद जिसपर नियोजन किया गया है, का पदनाम।	अनुलग्नक – 1	
2	पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या।	अनुलग्नक – 2	
3	किस योजना/परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह योजना केंद्रीय या राज्य की योजना थी	बियाडा के संकल्प 2003 एवं रेगुलेश्न 2007 के तहत नियुक्ति किया गया है। अनुलग्नक – 3	
4	नियोजन का पद किस श्रेणी का है (समूह 'ग' या 'घ)	'क', 'ख' एवं 'ग' – अनुलग्नक – 4	
5	क्या यह पद स्वीकृत था? अगर हाँ तो स्वीकृत्यादेश/ पद सृजन आदेश	हाँ। अनुलग्नक – 5	
6	क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरूद्ध हुआ था अथवा नहीं?	हाँ। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2007 में हुई नियुक्ति का मेरीट लिस्ट संलग्न है। अनुलग्नक – 6	
7	नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस इत्यादि की छायाप्रति (प्रत्येक पद के लिए जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाए)	अनुलग्नक – 7	
8	नियोजन हेतु यचन की प्रक्रिया	विभिन्न पदो के लिए अलग–अलग चयन प्रक्रिया अपनायी गई है। अनुलग्नक – 8	
9	पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्त्ता	अनुलग्नक – 9	
10	क्या नियोजित कर्मी वांछित पदीय अहर्त्ता रखते थे अथवा नहीं	हाँ। अनुलग्नक – 10	
11	नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं।	हाँ। अनुलग्नक–11	
12	नियोजन हेतु नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी	प्रबंध निदेश्क, बियाडा। अनुलग्नक –12	
13	उपर्युक्त नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी को नियोजन की तिथि को इस प्रकार की नियोजन की शक्ति प्रदत थी अथवा नहीं	हाँ। अनुलग्नक –13	
14	नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक पद पर प्रत्येक बार	अनुलग्नक – 14 (प्रत्येक पद का प्रारूप सदृश है।)	

	की नियोजन प्रक्रिया के लिए)		
15	प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि	एक वर्ष। अनुलग्नक –15	
16	प्रत्येक सेवावधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक।	नियंत्री पदाधिकारी की अनुसंशा के आधार पर प्रबंध निदेशक द्वारा सेवावधि विस्तार की स्वीकृति दी जाती है। (उदाहरण स्वरूप स्वमुल्यांकन प्रतिवेदन एवं नियंत्री पदाधिकारी के अनुसंशा का नमूना पत्र) अनुलग्नक –16	
17	प्रत्येक सेवावधि विस्तार आदेश का नमूना।	अनुलग्नक – 17	
18	प्रत्येक पदवार मानदेय / परिश्रमिक / वेतन Consolidated Pay इत्यादि की भुगतेय राशि।	अनुलग्नक – 18	
19	जिस शिर्ष / मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी	बियाडा के आंतरिक साधन श्रोत से। अनुलग्नक –19	
20	जिस नियमावली / संकल्प / परिपत्र के अंतर्गत इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया हुई है, उनकी छायाप्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ)	अनुलग्नक – 20	

**ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।